संख्या-675/2017/1162/22-2-2017-17(261)/2006

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 18 अगस्त, 2017***

विषय: आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राम प्रताप पुत्र श्री मोहन यादव, निवासी जनपद-देवरिया की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-16430/पर-2/सलाहकार समिति/ (एम0 02.05.2017) दिनांक-22.05.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 22.05.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी राम प्रताप पुत्र श्री मोहन यादव, ग्राम-तातिल, थाना-सलेमपुर, जनपद-देवरिया का निवासी है। बन्दी तहबाजारी की वसूली एवं जमीन को लेकर चल रही मुकदमेंबाजी की रंजिश के कारण बन्दी ने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 23-09-1993 को सायं 04:30 बजे देशी कट्टा, बम एवं चाकू से हमला कर 02 व्यक्तियों की हत्या की एवं 01 व्यक्ति को घायल किया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-36/1994 में भा0द0वि0 की धारा-143, 148, 504, 506, 307/149, 302/149 के अन्तर्गत मा0 तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, देवरिया के आदेश दिनांक 05.04.1996 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 06.04.2017 तक 16 वर्ष 07 माह 23 दिन की अपरिहार तथा 21 वर्ष 02 माह 08 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी तथा आयु 45 वर्ष लगभग है तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, पीठासीन अधिकारी की राय तथा सलाहकार समिति द्वारा रिहाई के सम्बन्ध में की गयी संस्तुति के संदर्भ में सम्यक विचारोपरान्त सक्षम स्तर पर यह पाया गया है कि सिद्धदोष बन्दी जघन्य अपराध में सहअभियुक्त है एवं दो सहअभियुक्त कारागार में हैं। अत: समयपूर्व रिहाई का औचित्य स्थापित नहीं होता है।

3- इसी प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ में योजित क्रिमिनल रिट याचिका संख्या-5974(एम0/बी0)/2016 एवं रिट याचिका संख्या-4381(एम0/बी0)/2015 राम प्रताप बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, के पारित आदेश दिनांक 08-03-2017 के अनुपालन तथा वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी राम प्रताप (बन्दी संख्या-14934) पुत्र श्री मोहन यादव, निवासी जनपद-देवरिया की जेल मैनुअल के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-675/2017/1162/(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, देवरिया।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।